में भिलाई में तत्कालीन प्रधान मंत्री की उपर्युक्त सार्वजनिक सभा के सम्बन्ध में दुर्ग प्रशासन की विशेष प्रार्थना पर कुछ प्रबन्ध किए गए थ जिन में भाषण मंच के चारों ओर जंगला लगाने, पानी की टंकी और बचाव व्यवस्था शामिल थीं । यह प्रबंध इस स्पष्ट धारणा से किऐ गए थे कि इनका भुगतान क्या जाएगा । तदनुसार उपर्युक्त सेवाओं के लिए जिला प्राधिकारियों को भुगतान के लिए 21,985 रुपय के खर्चे के बिल भेजे गए थे । अभी तक इन बिलों का भुगतान नहीं किया गया है और कारखाने के प्रबंधक जिला अधिकारियों से इस मामले में लिखा–पढ़ी कर रहे हैं ।

अस्पतालों और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में काम कर रहे ड्रेसरों की पदोन्नति

762. **श्री दयाराम शाक्य : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार दसवीं कक्षा पास कर्मचारियों कों पांच वर्ष की सेवा के बाद पदोन्नति देती है ;

(ख) क्या यह सच है कि अस्पतालों और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में इसी योग्यता वाले ड्रेसरों की पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भी किसी तकनीकी पद पर पदोन्नति नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं । ऐसा कोई नियम नहीं है ।

(ख) और (ग) अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में काम कर रहे ड्रेसरों की पदोन्नति सबंधी अवसर वैसे ही हैं कि केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिये हैं । ये अवसर उच्च ग्रेड में पदों की उपलब्धता और उनके लिये उम्मीदवारों के पास अपेक्षित अर्हताये होने पर निभर करते हैं । जो ड्रेसर अपने पद पर स्थायी होते हैं और जिनकी अपने ग्रेड में कम से कम दस वर्ष की सेवा होती है वे ही सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति के पात्र होते हैं ।

इस्पात संयंत्रों में फालतू पुर्जों की आवश्यकता

763. **श्री दया राम शाक्य : इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात संयंत्रों में फालतू पुर्जों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए कोई दल नियुक्त किया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस दल द्वारा क्या सिफारिश की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री करिया मुण्डा) :

(क) और (ख) : जी, नही । फिर भी, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने अप्रैल, 1973 में अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के लिए फालतू पुर्जों की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्ति की थी । समिति ने फालतू पुर्जों की आवश्यकाताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :—

1. सभी इस्पात कारखानों में सर्वनिष्ठ समान रूप से काम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण, मध्यम तथा भारी श्रेणी के फालतू पुर्जों के निर्माण के लिए केन्द्रीय कर्मशाला की स्थापना की जाये ।

2. इस्पात कारखानों की इंजीनियरी कर्मशालाओं में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाए ।